फर्द अहकाम
(नियम–26)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़ (राज0)

श्री उदय कुमार जैन निवासी 18–ए, तिलक कॉलोनी, हिरन मगरी, से. नं–3, उदयपुर

बनाम

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, राशमी

किस्म प्रकरण अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

प्रकरण संख्या 17/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.02.2018	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपीलार्थी श्री उदय कुमार जैन निवासी 18–ए, तिलक कॉलोनी, हिरन मगरी, सेक्टर नम्बर 3, उदयपुर द्वारा सूचना प्राप्ति हेतु दिनांक 15.11.2017 को विकास अधिकारी, पंचायत समिति, राशमी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने पर, विकास अधिकारी, पंचायत समिति, राशमी द्वारा प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नही कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस कार्यालय को प्रस्तुत की गयी है। यहां यह उल्लेखनीय है कि यह कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) का अपीलीय प्राधिकारी होकर लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नही कराने पर ही अपील ग्रहण करता है। विकास अधिकारी, पंचायत समिति, राशमी लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) की श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आते हैं। चूंकि विकास अधिकारी, पंचायत समिति, राशमी लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) की श्रेणी में नही आते हैं, जिससे प्रस्तुत अपील पर इस कार्यालय द्वारा सुनवाई नही की जा सकती है। अतः अपीलार्थी को संबंधित अपीलीय प्राधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौड़गढ़ के यहां अपील प्रस्तुत करने के निर्देशों के साथ अपील निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे।	